



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ठोँ राजकौमन् शिक्षा संकूल, ल्होक नं. 5, पंचम तल, कमरा नं. 601

बैलेन मार्ग, ओटीएस के पास, जयपुर-302017 E-mail: adrutsmsa@gmail.com

फ्रामार्क : राजस्कूलशिप / पूर्व प्राथमिक शिक्षा / Activity Corner/2023-24/3417 दिनांक 31-7-23

विषयालय के लिए इन्हें डाउनलोड करें।



VIDEO LINK

966 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में संचालित पूर्व प्राथमिक सेवशन / बाल वाटिका हेतु - वर्ल्ड बैंक - स्टार्ट प्रोजेक्ट पीएवी 2023-24 में अनुमोदित

Activity Corner के क्रय हेतु दिशा - निर्देश

966 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में संचालित पूर्व प्राथमिक सेवशन / बाल वाटिका हेतु गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई सुनिश्चित करने एवं 03 वर्ष की आयु से ही बच्चों की श्रेष्ठ शिक्षा की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की वर्ल्ड बैंक - स्टार्ट प्रोजेक्ट पीएवी 2023-24 में अनुमोदित गतिविधि - Activity Corner के क्रय हेतु सामग्री चयन, अनुमानित लागत, उपयोग एवं स्पेसीफिकेशन सांबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं -

Activity Corner

966 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में संचालित पूर्व प्राथमिक सेवशन / बाल वाटिका हेतु (जिलेवार सूची संलग्न)प्रति विद्यालय 15000/-की राशि रवीकृत हुई है जिसमें से प्रति विद्यालय 8800/- एविटविटी कॉर्नर सेल्फ (रैक) का क्रय किया जाना हैजिसके स्पेसीफिकेशन एवं अनुमानित लागत निम्नानुसार है

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा	दर	अनुमानित लागत (रुपये में)	सामग्री का विवरण एवं स्पेसीफिकेशन	नमूना चित्र
1	कॉर्नर शेल्फ (Corner Shelf)	4 प्रति विद्यालय	2200	8800	The corner shelf is made up of virgin-grade plastics made from Polyolefin. The overall size of the shelf shall be L 38.5 cm X W 38.5 cm x H 90.5 cm having thickness 3.6 cm. The overall weight of the corner shelf shall be 4 kg. Acceptable tolerance in dimension shall be \pm 10% and weight shall be \pm 5%.	

Note: Keeping in view safe learning environment for the children, items must be non-toxic, non-hazardous, environment friendly and made in India.

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 11:54:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4344063



शेष राशि 6200/- में से प्रति विद्यालय एक आर्ट कॉर्नर और एक रीडिंग कॉर्नर की सामग्री का क्रय निम्नानुसार किया जाना हैजिसके स्पेसिफिकेशन एवं अनुमानित लागत निम्नानुसार है –

आर्ट कॉर्नर

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा	अनुमानित लागत (रुपये में)	कुल	सामग्री का विवरण एवं स्पेसिफिकेशन	आउटकम
1	कलरिंग और पॉटिंग के लिए डॉइंग पैड	25	100	2500	Drawing pad of 40 pages, white unruled maplitho paper - 80 GSM with cover coloured -100 GSM	बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना।
2	बाटर कलर पैट दृश के साथ, रिम, पेनिसल, शॉपर्स, इरेजर, Clay (पिण्ठी)	As per requirement		1500	Non Toxic and eco friendly	सूखे मोटर कौशल का विकास
Total				4000		

रीडिंग कॉर्नर

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा	अनुमानित लागत (रुपये में)	कुल	सामग्री का विवरण एवं स्पेसिफिकेशन	आउटकम
1	<ul style="list-style-type: none"> • Picture Card or Flash Card • Picture Story book • Picture books with one or two text line 	उपलब्ध राशि में से 03 से 06 यां की आयु के बालक-बालिकाओं हेतु उपयोगी सामग्री क्रय की जाये		1700	Printed on glossy paper, multi-colour offset print should contain pictures of maximum 10 pages. Size of book to be at least 28 X 21 cm.	<ul style="list-style-type: none"> • शब्द भंडार बढ़ाना, बच्चों के माध्यम से विकास, विचारों का शब्दों से संबंध • बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास, बच्चों का कल्पनाशील होना।
2	Stick Puppet/ Hand Puppet Set	1	500	500	5 Puppets in a set	
Total				2200		

Note : Keeping in view safe learning environment for the children, all the items must be non-toxic, non-hazardous, environment friendly and made in India.

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamandala /
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 11:54:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4344063



एकिटविटी कॉर्नर के उपयोग हेतु ईसीसीई शिक्षक को दिशा-निर्देश :-

- एक कक्षा में रुचिपूर्ण टीएलएम एवं अन्य सामग्री के साथ दो एकिटविटी कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे, ताकि नामांकित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रुचिपूर्ण वातावरण में उपलब्ध कराई जा सके।
- ईसीसीई शिक्षक रखायं के निर्देशन एवं समुचित पर्यवेक्षण में ही उक्त सामग्री का उपयोग बच्चों से सुरक्षित तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में बच्चे किसी भी टीएलएम सामग्री का असुरक्षित तरीके जैसे – जीभ से चाटना / निगलना इत्यादि नहीं करें।
- ईसीसीई शिक्षक प्रदत्त सामग्री का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करें। शिक्षण उपयोग उपरान्त समर्त सामग्री को एकत्र कर Activity Corner में दी गई रैक में सुरक्षित रखें।
- चयनित Activity Corner सामग्री का क्रय कर बच्चों को उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता का समर्त दायित्व संवधित संस्थापना का होगा।
- क्रय की गई Activity Corner सामग्री के श्रेष्ठतम उपयोग की सुनिश्चितता का समर्त दायित्व ईसीसीई शिक्षक का होगा।

टीएलएम सामग्री का शिक्षण में उपयोग निम्नानुसार करें :-

क्र.सं.	सामग्री	सामग्री का उपयोग
1	कॉर्नर शेल्फ (Corner Shelf)	बच्चों के सर्वांगीन विकास एवं खेल खेल में गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए प्रत्येक कक्षा में गतिविधि कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बच्चों के लिए आर्ट से संबंधित सीखने सिखाने की सामग्री, शीडिंग मैटेरियल एवं खिलौने रखें जाएंगे। शिक्षक बच्चों को यह सिखाएं कि सामग्री के उपयोग के पश्चात संबंधित कॉर्नर में ही रखें।
2	आर्ट कॉर्नर	आर्ट कॉर्नर की सामग्री से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गतिविधि करने के अवसर मिलेंगे। बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी यह सामग्री काम करेगी। शिक्षक बच्चों को ड्राइंग पेड में विभिन्न प्रकार के चित्रों में रंग भरने का अभ्यास करायें।
3	शीडिंग कॉर्नर	<ul style="list-style-type: none"> • पिंकर कार्ड/ प्लैस कार्ड से बच्चा चित्रों का शब्दों से स्थायी संबंध स्थापित करके रीखता है एवं उसका शब्द भंडार भी बढ़ता है। कहानियाँ बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा देती हैं। चित्रों की मदद से बच्चा रुचि लेकर कहानी सुनता है, जिससे भावीय कौशल एवं समाजीकरण का विकास होता है। • पेट द्वारा बच्चों को मनोरंजक रूप से कहानी सुनना और उनमें कहानी के प्रति उत्साह लाना। • शिक्षक विद्यार्थियों को बतायें कि कठपुतलियां किसी पुस्तक के पात्रों के समान होती हैं। वे जिस तरह से बात करते हैं, और कार्य करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इनके माध्यम से शिक्षक एक कहानी को रुचिकर बना सकते हैं। • कठपुतली साहित्य, विक्रकला, मुर्तिकला, संगीत, नृत्य नाटक जैसे सभी कला रूपों के तथ्याँ को आल्सात करती हैं। • इनके माध्यम से बच्चे खेल-खेल में रीखते हैं, जिससे बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि होती है।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 11:54:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4344063



- उक्त Activity Corner की सामग्रीके कक्षा-कक्ष में शिक्षण एवं उपयोग से संबंधित वीडियो बनाकर वसूआर कोड के साथ दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अतः उक्त वीडियो का सदुपयोग कर पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षण कार्य करावें।
- उक्त Activity Corner के कक्षा-कक्ष में शिक्षण एवं उपयोग से बच्चों की जागरूकता, कल्पनाशीलता में आये परिवर्तन का असेसमेन्ट भी करवाया जाएगा। अतः उक्त सामग्री का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चे लाभान्वित हो सकें। असेसमेन्ट हेतु फीडबैक फॉर्मेट का लिंक पृथक से शेयर किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मेन्टेंर टीचर के प्रशिक्षण मॉड्यूल में भी उक्त सामग्री के उपयोग हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

Activity Corner (2023-24) क्रय हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देश:-

- Activity Corner में सामग्री के सामने अंकित अनुमानित राशि कम अथवा अधिक हो सकती है लेकिन सभी व्यानित सामग्री की कुल कीमत रुपये 15000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस राशि का उपयोग अनिवार्यतः केवल Activity Corner सामग्री क्रय के लिए किया जाना है, किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं।
- उक्त राशि का उपयोग विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी के माध्यम से संरक्षण द्वारा 08 सदस्यों की कमेटी बनाकर किया जावे, जिसमें कम से कम दो अधिभावक (एक महिला अभिभावक अनिवार्य) को भी बैठक में शामिल किया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्त सामग्री के क्रय हेतु SDMC/SMC से पृथक-पृथक 02 प्रस्ताव लिये जाने हैं, 8800/- सामग्री क्रय हेतु एवं 6200/- से सामग्री क्रय हेतु ताकि अधिकतम 10000/- की सीमा में SDMC/SMC द्वारा सीधे ही सामग्री क्रय की जा सके।
- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाए, निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाए।
- क्रय की जाने वाली सामग्री ने राजस्थान लोक उपाधि में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम-2013 की अधारशः पालना सुनिश्चित की जाए।
- जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि प्राप्ति के 15 दिवस में अनुमोदित राशि का प्रत्यक्ष हस्तान्तरण /आहरण स्वीकृति संलग्न सूची वाले विद्यालयों की एसडीएमसी/एसएमसी को ही की जानी है।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.24 11:54:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4344063



- जिला कार्यालय राशि की प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में उपयोगिता प्रमाण—पत्र विद्यालय प्रशासन द्वारा संबंधित ब्लॉक परियोजना कार्यालय को एवं ब्लॉक से प्राप्त कर दोनों गतिविधियों का समेकित उपयोगिता प्रमाण—पत्र राज्य कार्यालय को 07 दिवस में प्रेषित किये जाने हैं।
- एसडीएमसी / एसएमसी द्वारा क्रय की गई Activity Corner सामग्री को सामग्री की प्रकृति के अनुसार विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर (खाई और अखाई) में प्रविष्ट कर ही उपयोग में लिया जावे।
- उक्त सामग्री का क्रय जिस विक्रेता से किया जावे, उससे उक्त सामग्री के इको फ्रेण्डली एवं नॉन टॉकिस्क होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त कियां जाना सुनिश्चित करें एवं इसे रिकॉर्ड में संधारित करें।
- राशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार ही किया जाना है।

जिला / ब्लॉक परियोजना कार्यालय उक्त गतिविधियों का सम्पादन निर्धारित समयावधि में सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, निदेशक, प्राशि एवं माशि, राजस्थान—वीकानेर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप—जयपुर।
- निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्कूलशिप, जयपुर।
- उपायुक्त—प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
- उपायुक्त—स्टार्ट, राजस्कूलशिप, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
- उपनिदेशक—शाला दर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक — समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- संस्थाप्रधान — संबंधित विद्यालय।
- रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

9. मानवाधारी विद्यालयों में पूर्ण
प्रतिलिपि E-CCE Form E-CCE



VIDEO LINK

दिशानिर्देश एवं गतिविधि के बारे में विस्तार से
जानने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 11:54:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4344063

